राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(212) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/अभि./गुणवत्ता नियंत्रण/ 2018–19 जयपुर, दि. 16 सितम्बर, 2019

–: कार्यालय आदेश :–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तृतीयपक्ष संस्थाओं से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जांच एवं आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभागीय पत्र दिनांक 5.9.15 तथा कार्यालय आदेश दिनांक 20.9.16 द्वारा सूचीबद्ध तृतीय पक्ष संस्थाओं की सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। विभागीय पत्र दिनांक 5.9.17 के कम में जिला परिषद / पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जिसमें निर्माण कार्यो के नमूनों की गुणवत्ता जांच की सुविधा उपलब्ध है।

अतः विभागीय योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित/प्रगतिरत निर्माण कार्यो की तृतीयपक्ष गुणवत्ता परीक्षण/जांच कार्य राज्य के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व निदेशालय तकनीकी शिक्षा जोधपुर से सम्बद्ध सरकारी व गैर–सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/पॉलीटेक्निक कॉलेजों के माध्यम से करवाया जावे। उक्त संबंध में तृतीयपक्ष गुणवत्ता परीक्षण, जांच कार्य हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, निदेशालय तकनीकी शिक्षा जोधपुर एवं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कम में नियमानुसार भुगतान बाबत पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, उप कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
9. निदेशक, निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
10. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
12. डीन (सिविल) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
15. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी/जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग, जि. प. समस्त राजस्थान।
17. विकास अधिकारी, पं. स. समस्त, राज.।
18. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि.